संख्या-15/2016/465/53-2-2016-2(71)/2015

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2016

विषय-दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की दुग्ध विकास विभाग की 12 परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-141/दुग्ध-4/नियो0/पीसीडीएफ के सुदृढ़ी0 ऋण(189)/2016-17, दिनांक-14.07.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-328/53-2015-2(71)15, दिनांक-18.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की आर0आई0डी0एफ0-21 योजना से वित्त पोषित प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की दुग्ध विकास विभाग की 12 परियोजनाओं हेतु ऋण के मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 1039.17 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम चरण में रू0 250.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। नाबार्ड से वित्त पोषित 08 नये डेरी प्लान्टों में 02 प्रतिशत इन्सेटिव का प्राविधान करते हुए पी0आई0बी0 की बैठक दिनांक-14.01.2016 में संस्तुत एवं शासनादेश संख्या-730/53-2016-2(71)15टीसी, दिनांक-25.02.2016 द्वारा लागत वृद्धि के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत रू0 1039.17 करोड़ के स्थान पर रू0 1052.02 करोड़ हो गयी है। अतः नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0-21 से वित्त पोषित प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फैडरेशन लि0 की दुग्ध विकास विभाग की 12 परियोजनाओं हेतु संशोधित लागत रू0 1052.02 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा द्वितीय चरण में ऋण के मद मे चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ की धनराशि दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर पी0सी0डी0एफ0 को ऋण के रूप में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैंः-

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पी.आई.बी. द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	जनपद लखनऊ नगर में 3 लाख लीटर दैनिक क्षमता का मल्टी प्रोडेक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना।	138.85	61.52
2	जनपद वाराणसी में 4.00 लाख लीटर दैनिक क्षमता के डेरी फूड प्रोजेक्ट की स्थापना।	149.02	39.35
3	जनपद मेरठ में 4.00 लाख लीटर दैनिक क्षमता के प्लान्ट की स्थापना।	154.29	34.63
4	जनपद बरेली में 1.00 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मल्टी प्रोडक्ट प्लान्ट की स्थापना।	108.06	34.20
5	जनपद गोरखपुर में 1.00 एल0एल0पी0डी0 दैनिक क्षमता के मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना।	76.04	23.25
6	04 प्लांट्स अलीगढ़, नोएडा, इलाहाबाद, झांसी में पैकिंग सुविधा इत्यादि का 10 प्रतिशत।	21.10	17.73
7	जनपद फिरोजाबाद में 1.00 लाख लीटर दैनिक क्षमता के डेरी प्लान्ट की स्थापना।	80.00	32.00
8	जनपद फैजाबाद नगर में 0.5 लाख लीटर प्रतिदिन मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्रोजेक्ट की स्थापना।	54.34	21.736
9	जनपद मुरादाबाद में 1.00 एल0एल0पी0डी0 दैनिक क्षमता के मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना।	78.89	31.556
10	ट्रांजिट हॉनि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क।	164.57	24.588
11	गुणवत्ता लैब सुदृढ़ीकरण।	29.44	29.44
12	बी0एम0सी0 कूल चेन नेटवर्कका भाग-1 (रू0 50 करोड़) एवं पार्ट 2 कूल चेन नेटवर्क	184.10	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(रू0 134.10 करोड़)।		
	योग-	**1238.70**	**400.00**

(रूपये चार अरब मात्र)

शर्ते एवं प्रतिबन्ध

(1) प्रश्नगत धनराशि ऋण के रूप में पी0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा की शर्तो का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-4-310/दस-2008/6-1965, दिनांक 31 मार्च, 2008 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था आई.डी.एम.सी. को धनराशि बैंक गारण्टी प्राप्त होने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) धनराशि का आहरण कर इसे किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि जिस प्रयोजन के लिये जारी की जा रही है, उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी।

(7) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में पब्लिक इन्वेस्टमेंन्ट बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक-11.09.2015 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(8) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में नार्बाड के पत्र संख्या- एन0बी0एसपीडी/373/आरआईडीएफ-21(उ0प्र0)/153 पीएससी/2015-16 दिनांक-23.12.2015 एवं संख्या-एनबी.यपीआरओ/432/आरआईडीएफ-21(उ0प्र0)/153पीएससी /2015-16 दिनांक 20.01.2016 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.15 में जारी निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, और स्वीकृति धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को तुरन्त दी जाये।

(10) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

(11) स्वीकृति धनराशि को दिनांक-31.03.2017 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाये तथा जो धनराशि निकाली जाये उसकी सूचना तुरन्त शासन एवं महालेखाकार को भेजी जाये।

(12) पी0सी0डी0एफ0 आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

(13) प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/पी0सी0डी0एफ0 द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंसेज प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पी0सी0डी0एफ0 द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना में प्लान्ट व मशीनरी के भवनों में छत व कुर्सी की अतिरिक्त ऊचाई, स्ट्रोगर फाउण्डेशन व गहरी नींव आदि कार्य मदों हेतु सामान्य प्राविधान से अधिक का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु सुविचारित कार्ययोजना बना ली जाय ताकि प्रायोजना हेतु आवश्यक दुग्ध की आपूर्ति की निरन्तरता बनी रहे।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरें निर्गत कर दी जाती है, तो प्रायोजना हेतु वर्ष 2014 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों एवं वर्ष 2015 के कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर की धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पी0सी0डी0एफ0लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(19) पीसीडीएफ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यमदों हेतु आई0डी0एम0सी0लि0 द्वारा जो लागत प्रस्तावित की गयी है वही लागत इन कार्यमदों की अन्य फर्मो को भी दी गयी हो।

(20) पीसीडीएफ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2689/53-15-2(29)/13टी.सी.1, दिनांक 05 नवम्बर 2015, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1306/53-16-1(विविध)/2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-320/53-2-16-2(29)/13टी.सी.1, दिनांक 05 नवम्बर 2015, में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **''6404-डेरी विकास के लिये कर्ज-आयोजनागत-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- पी.सी.डी.एफ. के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण''** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-803/दस-2016, दिनांक 04 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-465(1)/53-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
3. मुख्य महा प्रबन्धक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-1/3/4, उ0प्र0 शासन।
11. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।